न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1640–तीन/2003 – विरूद्ध आदेश दिनांक 29–8–2003– पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 34/2002–03 निगरानी

शम्भूसिंह पुत्र महाराजसिंह भदौरिया
ग्राम किशूपुरा तहसील अटेर
जिला भिण्ड, मध्य प्रदेश। ---आवेदक

विरूद्ध

1– म0प्र0शासन
2– ओंकारसिंह पुत्र वीरसिंह भदौरिया
निवासी ग्राम किशूपुरा
तहसील अटेर जिला भिण्ड ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)
(अनावेदक–2 सूचना उपरांत अनुपस्थित – एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 18–1 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 34/2002–03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29–8–2003 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक व्दारा ग्राम किशूपुरा स्थित भूमि सर्वे नंबर 324 के रकबा 0.04 हैक्टर पर अतिकमण कर लेने एंव कब्जा न हटाने पर अनुविभागीय अधिकारी अटेर ने इस आशय का नोटिस कमांक 253 दिनांक

10-5-2002 जारी किया कि वह शासकीय भूमि पर अप्राधिकृत कब्जा किये है इसलिये उपस्थित होकर बताये कि कब्जा न छोड़ने के लिये क्यों न सिविल कारागार के सुपुर्द किया जाय। आवेदक इस नोटिस के विरूद्ध अपर कलेक्टर,भिण्ड के समक्ष निगरानी कमांक 131/2001-02 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 24-12-2002 से निगरानी निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी कमांक 34/2002-03 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 29-8-2003 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक क-2 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि ग्राम किशूपुरा की आराजी नंबर 324 रकबा 0.04 पर आवेदक जमींदारी काल से आधिपत्यधारी है तथा पूर्वजों के समय से इस भूमि पर एक तिवरिया पूर्व में कच्ची थी जो वाद में पक्की बनाई गई है तथा पूर्वजों के समय से ही इस भूमि पर तीन पेड़ महुआ के एंव बबूल के खड़े हैं जिसके कारण वह जमींदारी शासनकाल से भूमिस्वामी एंव आधिपत्यधारी है जिसे संहिता की धारा 248 में बेदखल नहीं किया जा सकता और न ही प्रकरण संहिता की धारा 248 के तहत आता है। उन्होंने निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यवाही निरस्त करने की प्रार्थना की।

5/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचारकरने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित